

## STATE ELECTION COMMISSION NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE, DELHI-110006

No. F.10(10)/SEC/MCD/General Election/2022/7401

Dated:28.10.2022

## **PUBLIC NOTICE**

Sub: - General Election to the Municipal Corporation of Delhi-2022 - Preparation of lists of polling stations for 250 Wards thereof.

It is for the information of general public, political parties and all concerned that General Elections to 250 wards of the Municipal Corporation of Delhi are likely to be held in the near future.

The Commission has since adopted the electoral rolls updated with reference to "01.01.2022", as the "qualifying date", of the relevant Assembly Constituencies for 250 wards and as are in force for the time being, for the ensuing General Elections to the Municipal Corporation of Delhi in pursuance of the powers conferred upon the Commission under the proviso to section 7E of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 (as amended) read with Rule 27 of Delhi Municipal Corporation (Preparation of Electoral Rolls) Rules, 1975.

The Central Govt. had unified three Municipal Corporation of Delhi into One single Corporation and has determined 250 wards in the Corporation. The wards have been delimited on the basis of 2011 census and final Delimitation order has been notified on 17.10.2022.

Rule 10 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 prescribes that the Returning Officer of a ward shall provide sufficient number of polling stations for the ward under his charge and shall publish in such manner as the Election Commission may direct in this behalf, the list showing the polling stations so provided and the polling areas and groups of voters for which they have respectively been provided. The maximum limit of voters per polling station has been fixed as 1500. Accordingly, draft lists of polling stations shall be prepared on the basis of electoral roll of the Assembly Constituencies for the time being in force (Published finally by the Chief Electoral Officer, Delhi on "05.01.2022") and as these relate to 250 wards of the Municipal Corporation of Delhi and are being published by the concerned Returning Officers in their respective offices for the wards where the general public/intending candidates/Political Parties etc. can inspect the same and file suggestions and objections, if any, with the respective Returning Officers up-to 01.11.2022 (05:00 pm).

The list of Returning Officers with their office address, Phone number etc. and draft list of polling stations is available on the Commission's website <a href="mailto:sec.delhigovt.nic.in">sec.delhigovt.nic.in</a>

SECRETARY INCHARGE STATE ELECTION COMMISSION



## राज्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

सं. 10(10) / रा.चु.आ. / दि.न.नि. / आम चुनाव / 2022 / 7401

दिनांक 28.10.2022

## जन–सूचना

विषय : दिल्ली के नगर निगमों के 250 वार्डों के आम—चुनाव, 2022—प्रकाशन हेतु उक्त वार्डों की मतदान केन्द्रों की सूचियों की तैयारी ।

सर्व साधारण, राजनैतिक दलों व सभी सम्बन्धित लोगों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली नगर निगम के 250 वॉर्डों के आम—चुनाव अग्रिम भविष्य में होने जा रहे हैं ।

आयोग ने विधान सभा क्षेत्रों की उन मतदाता सूचियों को जिनका पुनरीक्षण "01.01.2022" को योग्यता तिथि के अनुसार हो चुका हैं और जो तत्समय में प्रचलित हैं, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, यथा संशोधित, की धारा 7ड के परन्तुक तथा उसके साथ पिठत दिल्ली नगर निगम (मतदाता सूची की तैयारी) नियमावली 1975 के नियम 27 के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का उपयोग करते हुए अंगीकार कर लिया है।

केन्द्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर के एक निगम के लिए 250 वार्ड प्रदान किए हैं। वार्डों का परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर कर लिया गया है और अंतिम परिसीमन आदेश दिनांक 17.10.2022 को पारित कर दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली 2012 का नियम 10 निर्धारित करता है कि रिटर्निंग अधिकारी उनके चार्ज में आए वार्ड के लिए पर्याप्त मात्रा में मतदान केन्द्रों का प्रावधान करे तथा मतदान केन्द्रों की सूचियों को जिनमें मतदान क्षेत्रों तथा मतदाताओं के समूह को जिनके लिए वह मतदान केन्द्र बनाया गया है इस संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप इनका प्रकाशन करे । प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1500 निर्धारित की गई है। तदनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों, जो तत्समय प्रचलित है (मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली द्वारा 05.01. 2022 को अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है) तथा जो दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों से संबंधित है, दिल्ली नगर निगम के प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की सूचियां बना ली गई है तथा निम्न सारिणी में उल्लिखित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनके अपने कार्यालयों में उनके आगे दर्शाए गए निम्न वार्डों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है जहां जनसाधारण/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/राजनैतिक दल इत्यादि इनका निरीक्षण कर सकेंगे तथा कोई सुझाव/आपित हो तो अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक 01.11.2022 (05:00 बजे साय) तक प्रदत्त कर सकेंगे।

रिटर्निंग अधिकारियों की सूची उनके कार्यालय का पता, फोन नं0 आदि और मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची आयोग की वेबसाइट <u>sec.delhigovt.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

सचिव इंचार्ज राज्य चुनाव आयोग